(MIJ) 2016, Vol. No. 2, Jan-Dec **e-ISSN: 2454-924X; p-ISSN: 2454-8103**

भारत में आर्थिक असमानता : अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन

डा. मनिन्द्र जीत कौर

व्याख्याता हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़

ECONOMIC INEQUALITY IN INDIA: AMBEDKAR'S ECONOMIC THOUGHT

Dr Maninder Jeet Kaur

Lecturer, Dept of Hindi, Government College, Suratgarh, Shriganganagar

ABSTRACT

Dr. Bhimrao Ambedkar is considered a pioneer in the upliftment of the Dalit classes and the establishment of social justice. After receiving his primary education in India, he pursued higher education in America and London, which was certainly a significant achievement for an untouchable, at a time when the T shackles of untouchability were very strict. He received a Master of Arts and a Ph.D. from Columbia University. He also received a Master of Science from London and presented another research thesis titled "The Problem of the Rupee." Recognizing his outstanding talent in political science and economics, he was appointed Professor of Political Economics

Keywords: Ambedkar; economics; industrialization; nationalization

सारांश

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित वर्गों के उत्थानकर्ता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करने वालों में अग्रणी माने जाते है। आपने प्रारम्भिक शिक्षा भारत में ग्रहण करने के पश्चात् उच्च शिक्षा अमेरिका, लन्दन में प्राप्त की जो कि निश्चित रूप से एक अछूत व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ये ऐसे समय की उपलब्धि है जब छुआछूत के बंधन बहुत कठोर थे। कोलम्बिया विश्वविद्यालय से 'मास्टर ऑफ आटर्स' और पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। लन्दन से 'मास्टर ऑफ साइंस' की उपाधि प्राप्त की और 'दी प्रॉबल्म ऑफ दी रूपी' शीर्षक पर एक अन्य शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा को देखते हुए उन्हें राजनीति अर्थशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया।

शब्द : अम्बेडकर, अर्थषास्त्र, औद्योगिकरण, राश्ट्रीयकरण।

प्रस्तावना : *अम्बेडकर ने दलित वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किये। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से कई ग्रन्थों की रचना की जिनमें प्रमुख हैं–*

*'स्माल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देअर रेमेडीज' द प्रॉबल्म ऑफ द रूपी, द इवॉल्यूशन ऑफ प्राविंसि**यल फाइनेंस इन ब्रिटिश इण्डिया' इत्यादि।***

अम्बेडकर अर्थशास्त्र के अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने एम.ए. में प्राचीन भारतीय वाणिज्य'. एम.एससी. में 'ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेन्द्रीकरण' तथा डी. एससी. में 'रूपये की समस्या' पर शोध पत्र प्रस्तुत किये। जो उनकी अर्थशास्त्र विषय में गहन दक्षता को दर्शाते हैं। उन्होंने 1917 से 1956 तक सभी राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त किये। जिसमें भूमि सुधार, औद्योगिकरण और भूमिहीन और छोटे किसानों का स्तर सुधारने के लिए विविध प्रयास किये। विविध क्षेत्रों में आर्थिक विचार इस प्रकार से हैं:–

कृषि व्यवस्था :–

भारत कृषि प्रधान देश है किन्तु भूमि के स्वामितत्व के विषय में समानता नहीं है। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग ही सामान्यतः कृषि भूमि के स्वामी रहे हैं, जो जमींदारों के नाम से जाने जाते हैं। मध्यम जातियाँ परम्परागत रूप से बंटाई पर खेती करते हैं और निम्न जातियाँ जो भूमिहीन हैं, वही श्रमिक के रूप में खेती का काम सम्भालती हैं। यही कारण है कि जो बड़े जमींदार या भूस्वामी हैं वे श्रमिक या छोटे किसानों का निरन्तर शोषण करते हैं। अम्बेडकर के अनुसार :–

1. *कृषि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और सामूहिक खेती करने का सुझाव दिया।*
2. *न तो कोई भू–स्वामी हो, न, किरायेदार और न ही भूमिहीन श्रमिक हो।*

3. *सामूहिक खेती चकबन्दी या मुजारा कानून से बेहतर है क्योंकि इसमें सभी को स्वतन्त्रतामिलेगी।*

4. *कृषि फार्म बनाये जायें जहाँ पर पानी, बीज, खाद हेतु वित्त उपलब्ध करवाया जाये।*

5. *राज्य द्वारा प्रदत्त खेती के साधनों का अगर कोई सही उपयोग नहीं करता तो उसके लिये दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।*

6. *औद्योगीकरण के लिए कृषि सबसे उपयोगी क्षेत्र है।*

औद्योगीकरण :–

अम्बेडकर ने कृषि सुधार को औद्योगीकरण से जोड़ा ताकि शहरी एवं ग्रामीण प्रगति में सामंजस्य बना रहे। ''यह किसी चुनौती के भय के बिना कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण छोटी–छोटी जोतों के विस्तार को बढ़ावा देगा और उनके विस्तार को भी सम्भव बनायेगा। हालांकि यह हो सकता है कि उससे चकबन्दी न आ पाये। यह एक विवादहीन तथ्य है जब तक भूमि पर अधिशुल्क लगा रहेगा, तब तक चकंबन्दी आसान नहीं हो पायेगी। अतः चकबन्दी करने से पूर्व समस्त भारत में औद्योगीकरण होना चाहिए।''[1] उनका मानना था कि अगर मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा तो वह भारतीय समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों के संवर्द्धन व सुरक्षा के लिए सहायक होगा। ''अम्बेडकर सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे, वे केवल महत्त्वपूर्ण उद्योगों का ही स्वामित्व और कार्य प्रणाली राज्य के अधीन करने के पक्ष में थे। वे यह भी सुझाव देते थे कि जो उद्योग महत्त्वपूर्ण उद्योग नहीं है, परन्तु मूल उद्योग हैं उन्हें या तो राज्य चलाये या राज्य द्वारा स्थापित निगम संचालित करे।''[2]

अम्बेडकर के विचार थे –

1. *निजी क्षेत्र में प्राप्त होने वाले लाभ पर नियंत्रण किया जाये।*

2. *जितने भी बड़े औद्योगिक घराने हैं उनके एकाधिकार को तोड़ा जाये।*

3. *पुराने उद्योगों को बहाल किया जाये तथा नये उद्योग चालू किये जायें।*

4. *भारत में तेजी से औद्योगीकरण हो सके इसके लिए राज–समाजवाद अति आवश्यक है।*

5. *कृषि राज्य उद्योग होना चाहिए।*

मालिक मजदूर सम्बन्ध :–

अम्बेडकर का मानना था कि दस, बीस या दो सौ, जितने भी लोग चाहे, एक साथ मिलकर हड़ताल करे, कानूनी तौर पर कोई अन्तर नहीं पड़ता। सत्ताधारी टोले की ओर से यह कहना कि मजदूरों द्वारा सामूहिक हड़ताल षड्यंत्र है, गलत और निराधार है।'[3]

1. *मालिक समझौते द्वारा मजूदरों को दबाने का प्रयास न करें।*

2. *हड़ताल करने वाले मजदूरों को दण्डित करने का अर्थ होगा उन्हें गुलामी की तरफ धकेलना।*

3. *उद्योगों में शान्ति बनी रहे इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मजूदरों को जंजीर से बांधे रखें। मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।*

4. *ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन करके सभी यूनियनों को मान्यता देना जरूरी ठहराया।*

5. *किसानों और मजदूरों को बिना किसी जाति–पांति के भेद के एक मजदूर संगठन कायम करना चाहिए।*

6. *उन्होंने 1946 में सेंट्रल असैम्बली में एक बिल पेश किया जो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना जिससे मजदूरों में सामाजिक सुरक्षा बढ़ी।*

खानों में सुधार :–

कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की शोचनीय दशा से छुटकारा दिलाने के लिए उनके विचार थे –

1. *इन मजदूरों को वेतन अधिक दिया जाना चाहिए तथा उनसे पशुओं की भांति काम नहीं लेना चाहिए।*
2. *उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध अच्छा होना चाहिए तथा भूमिगत काम पर लगे प्रतिबन्ध पर कठोरता से अमल करना चाहिए।*
3. *मजदूरों की भलाई और सुरक्षा सम्बन्धी मौलिक एवं प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए।*

बेगार :–

अम्बेडकर ने बेगार के विरुद्ध संघर्ष किया। "उन्होंने 19 मार्च 1928 को बम्बई विधान परिषद में एक बिल पेश किया जिसका भाव 1874 के बम्बई भौरूली जमींदारी कानून में संशोधन करना था। यह कानून महारों से सरकारी कामों के लिए बेगार की आज्ञा देता था।"[4] बेगार का अर्थ निम्न वर्ग को दबाना है, जो कि अन्याय है। उनका मानना था कि इससे महारों की उन्नति नहीं हो पायेगी, इसलिए इस बेगार प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

बीमा योजना :–

इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य किया जाये कि वह अपने पारिश्रमिक के अनुसार, जैसा कानून निश्चित करें वह अपना बीमा करवाये। बीमा का राष्ट्रीयकरण केवल लोगों की भलाई ही नहीं करता वरन् राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। औद्योगिक मजदूरों के लिए बीमारी बीमा योजना भी लागू होनी चाहिए। बीमा पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक नागरिक जीवन बीमा पॉलिसी ले।

इस प्रकार अम्बेडकर ने आर्थिक दशा को सुधारने हेतु जो विचार दिये वे निस्संदेह राष्ट्र की प्रगति में सहायक सिद्ध हुए हैं, चाहे वे कृषि सम्बन्धी हो या औद्योगीकरण सम्बन्धी। अम्बेडकर का पूरा ध्यान दलित वर्ग को ऊंचा उठाने पर केन्द्रित था। वे समानता, स्वतंत्रता का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहते थे। अतः उनके विचारों से यही तथ्य उभरकर सामने आता है कि जब तक समाज में सभी को आर्थिक, सामाजिक समानता प्राप्त नहीं होगी तो देश का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा। हड़ताल सम्बन्धी उनके विचारों से पूर्णतया सहमत न होते हुए भी हमारा ये मानना है कि उनका मूल उद्देश्य वर्गगत असमानता को दूर करना था। निस्संदेह उनके विचार तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में पूर्णतया मौलिक एवं प्रभावी हैं।

सन्दर्भ सूची :–

1. डी. आर. जाटव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, 237

2. अम्बेडकर स्टेट ऑफ माइनोरिटीज, 1947, 15

3. एल. आर. बाली., डॉ. अम्बेडकर जीवन और मिशन, 166–167

4. उद्दृत : भारतीय आर्थिक चिन्तन प्रो. एम. एल. छीपा, शंकरलाल शर्मा, 346

MIJ